प्रेस नोट, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर, दिनांक 30.08.2022

NDPS एक्ट के तहत 02 अभियुक्तो एवं 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार व कब्जे से 325 एल्प्राजोलम टैबलेट (गोलियाँ) बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा वाँछित अपराधीयों के विरूद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल सुधीर कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चौकी प्रभारी फर्टिलाईजर उ0नि0 अभय उपाध्याय मय हमराही कर्म0गण के मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.शंकर राठौर पुत्र सेवाराम नि0 रैना की पुलिया फौजी वाली गली थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 28 वर्ष 2. श्यामलाल राठौर पुत्र जीवाराम नि0 रैना की पुलिया फौजी वाली गली थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 32 वर्ष 3.अभियुक्ता लक्ष्मी पत्नी सेवाराम नि0 रैना की पुलिया फौजी वाली गली थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शंकर राठौर के कब्जे से छोटी-छोटी गोलियों के 10 पत्ते व एक पत्ते में 07 गोली व 3 खुली दशा में 10 पत्ते में 10-10 गोलियों एक पत्ते में 10 गोलिया व कुल 110 गोलियाँ मिली। दूसरे अभियुक्त श्यामलाल उपरोक्त के कब्जे से छोटी-छोटी गोलियों के 9 पत्ते व एक पत्ते में 9 गोली पैक पत्ता व 6 गोली खुली दशा में 9 पत्ते 10-10 गोलियों के एक पत्ता 15 गोलियों का खुली दशा में कुल 105 गोली मिली व अभियुक्ता लक्ष्मी के पास से छोटी -छोटी गोलियों के 10 पत्ते व एक पत्ते के दो कटे हिस्से में से 4 खुली दशा में तथा एक पत्ते में पाँच व एक पत्ते में एक गोली कुल 110 गोली मिली। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत अपराध संख्या क्रमशः 360/2022 से 362/2022 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा मे माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि उनके कब्जे से प्राप्त गोलियाँ अल्प्राजोलम टैबलेट की नशीली गोलियाँ है। जिससे यह लोग दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद लखनऊ व बाहर से कमाकर आने वाले व्यक्तियों से दोस्ती कर खाने पीने की चीजों में धोखे से मिला देते है। जिससे वे बेहोश हो जाते है। और मौका मिलते ही हम उसका सामान चुरा लेते है। कभी कभी अभियुक्तगण गोली को सीधे खाने के सामान में मिला देते है तथा कभी कभी इन गोलियों को पीसकर पाउडर बना लेते है तथा उस पाउडर को खाने के सामान में मिला देते है। अभियुक्तगण विभिन्न शहरो में घूम घूम कर यात्रियो एवं अनजान लोगो को अपना शिकार बनाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- शंकर राठौर पुत्र सेवाराम नि0 रैना की पुलिया फौजी वाली गली थाना फिरोजाबाद नार्थ जनपद फिरोजाबाद
2- श्यामलाल राठौर पुत्र जीवाराम नि0 रैना की पुलिया फौजी वाली गली थाना फिरोजाबाद नार्थ जनपद फिरोजाबाद
3- लक्ष्मी पत्नी सेवाराम नि0 रैना की पुलिया फौजी वाली गली थाना फिरोजाबाद नार्थ जनपद फिरोजाबादअभियोग

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0 360/2022 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2- मु0अ0सं0 361/2022 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3- मु0अ0सं0 362/2022 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अभय उपाध्याय (चौकी प्रभारी फर्टिलाईजर)
2. उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 श्यामनरायण सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. का0 रामहरख चौहान थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
5. म0का0 क्षमा राय थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
6. म0का0 पिंकी मिश्रा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर